(212)

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

-1-

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर कैंप सागर

नि-1728-I-16

श्रीमति अनीता पत्नि स्व0श्री बलराम सेन
निवासी केन्द्रीय विद्यालय क02 दीनदयाल नगर
मकरोनियां जिला- सागर(म0प्र0) ....आवेदिका

//**बनाम**//

1.नवनीत श्रीवास्तव तनय श्री एस0पी0श्रीवास्तव
निवासी गोपालगंज सागर
2.दीपक दुबे तनय श्री बद्री प्रसाद दुबे
निवासी 17/31 सदर बाजार सागर
3.मुन्नालाल चौरसिया तनय श्री कन्छेदीलाल चौरसिया
निवासी चकराघाट वार्ड सागर
4.अनुविभागीय अधिकारी सागर ......अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदिका न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी जिला सागर के प्र0क्र0416/बी-121वर्ष2012-13 में पारित आदेश दिनाँक 13.01.2016 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करती हैः-

//**प्रकरण के तथ्य**//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र01ने श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर के समक्ष एक शिकायती आवेदन जन सुनवाई में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मकरोनियां बंजुर्ग में दीपक दुबे द्वारा विक्रय किये गये प्लाटों पर बैनामा में दर्शाई दिशाओं के अंदर नहीं है मौजा मकरोनियां बुजुर्ग की भूमि ख0नं071/10 में विक्रय किये गये प्लाटों को स्थापित कराया जाये एवं विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। उक्त आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने ~~अपीलार्थी~~ आवेदिका एवं विक्रेताओं को समक्ष में सुनवाई कर एवं साक्ष्य आदि लेकर ~~अपीलार्थी~~ आवेदिका के प्लाट पर उसे स्वयं कब्जा

Page-2Cont- ---

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R/1728/I/16 **जिला** सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-5-16	1— आवेदिका की ओर विद्वान अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गए। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रकरण क्रमाँक 416/बी—121/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 13—01—2016 के विरूद्ध भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है। आवेदिका द्वारा निगरानी के साथ धारा—5 समय अवधि अधिनियम का आवेदन शपथ—पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2— आवेदिका के विलंब माफ किये जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम0पी0एल0जे0 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्ध जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुये बिलंब को माफ किया जाता है। 3— आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदिका विधवा महिला है उसने अपने पति के फण्ड के पैसों से मकरोनियां सागर में स्थित भूमि ख0नं0 71/10 का प्लाट 25वाए 50 अर्थात् 1250 वर्गफुट दिनॉक 05.11.2009 को विधिवत् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरीये क्रय किया था एवं विधिवत् उक्त प्लाट पर कब्जा भी क्रय दिनॉक से कर लिया था। अनावेदक क्र01 के शिकायती आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदिका के प्लाट ख0नं071/10 पर अनावेदक क्र01 को स्थापित किये जाने का विवादित आदेश पारित कर दिया है जबकि अनावेदक क्र01 के प्लाट का ख0नं071/8 है जो कि 20वाए50 अर्थात् 1000 वर्गफुट है, एवं पटवारी प्रतिवेदन तथा तहसीलदार के प्रतिवेदन आवेदिका के पक्ष में है। उनका यह भी तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत के आवेदन पर प्रकरण में जॉच कर आदेशित किये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष भेजना था उनको आदेश पारित नहीं करना था क्योंकि वे अपीलीय अधिकारी है एवं प्रकरण में बटांक का विवाद है जिसका क्षेत्राधिकार मात्र तहसीलदार को है यदि तहसीलदार द्वारा गतल बटांक होते है तब उसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की जाती है, इस प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। अतएव उन्होंने प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।	

[कृ. प. उ.

मिस0-1728-I-16 (सागर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4— आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया, तहसीदलार द्वारा जॉच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि आवेदिका का प्लाट ख0नं0 71/10 क्रय कर कब्जा पाया गया है यह भी उल्लेख किया है ख0नं071 का बटांक न होने से विवाद उत्पन्न हुआ है आवेदिका द्वारा ख0नं0 71/10 एवं 71/8 के विक्रय पत्र की सर्च रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की है तथा हल्का पटवारी के प्रतिवेदन में ख0नं071/8 का रकवा 0.270हे0 तथा ख0नं071/10 को रकवा 0.372हे0 दर्ज होना बताया गया है इस कारण आवेदिका के इस तर्क पर बल मिलता है कि दोनों ख0नं0 अलग—अलग विक्रय किये गये है तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आवेदिका का कब्जा होना प्रतिवेदित किया है ऐसी स्थिति में आवेदिका जो कि एक विधवा महिला है के क्रयशुदा प्लाट पर कब्जा करने का प्रयास किया जाना न्यायसंगत नहीं पाता हूँ। 5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.16 निरस्त किया जाकर, प्रकरण तहसीलदार सागर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदिका एवं अनावेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सुनवायी का अवसर देते हुये ख0नं071/10 एवं ख0नं071/8 के विक्रय किये गये प्लाटों का नाप कराकर पुनः स्थल निरीक्षण उपरांत प्रकरण का निराकरण करें। आदेश की प्रति तहसीलदार सागर को भेजी जावे। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	